पत्रांक–04/वि0–16–10/2017..........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

रेखा कुमारी,
उप निदेशक (प्रशासन)

सेवा में,

सभी कुलसचिव,
पटना विश्वविद्यालय, पटना
मगध विश्वविद्यालय, बोध गया
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा
तिलका माँझी विश्वविद्यालय, भागलपुर
बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
भूपनेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना
पाटलीपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना
मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर
पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक ....

विषय : **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ठेका पर/दैनिक वेतन भोगी/संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों को EPF खाता से आच्छादित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–671 दिनांक 15.04.2019 एवं 684 दिनांक 25.04.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–17372/2017 शम्भु शरण सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 27.02.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत EPF खाता से आच्छादित किये जाने का निर्णय अप्रैल 2019 तक लिया जाना है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–671 दिनांक 15.04.2019 एवं 684 दिनांक 25.04.2019 द्वारा निदेश दिये गये है।

2. दिनांक 26.04.2019 को विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा में स्पष्ट हुआ है कि मगध विश्वविद्यालय तथा पटना विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्य को पूर्ण नहीं किया गया तथा प्रगति संतोषजनक नहीं है।

3. वर्णित स्थिति में निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्राधीन संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत EPF खाता से आच्छादित करने हेतु निम्न प्रपत्र में वांछित सूचना भरकर आवश्यक अभिलेख के साथ श्री राजेश पाण्डेय, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, तृतीय तल, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–06, पटना को उनके ई–मेल सं0–ro.patna@epfindia.gov.in पर दिनांक 15.05.2019 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे तथा श्री पाण्डेय से सम्पर्क कर इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

इसमें किसी प्रकार के विलम्ब/लापरवाही के लिए संबंधित पदाधिकारी दोषी समझे जायेगे तथा न्यायालयी आदेश के अनुपालन में शिथिलता बरतने के लिए उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

विहित प्रपत्र

Name of Establishment	Date of Code Generation	No of Coverable (Covered) employee	No of UAN	Compliance payment mode

विश्वासभाजन,
ह0/–
(रेखा कुमारी),
उप निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक :– 04/वि0–16–10/2017.......................... पटना, दिनांक :–......................
प्रतिलिपि :– श्री राजेश पाण्डेय, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, तृतीय तल, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–06, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
उप निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक :– 04/वि0–16–10/2017.....692..... पटना, दिनांक :–.....27/04/19
प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा/विशेष सचिव के निजी सहायक/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधितों को ई–मेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/4/19
उप निदेशक (प्रशासन)

3